

19.7.23

वकिल करीकन हाकिर । पूर्व आदेशानुसार नोटिस
/रिकॉर्ड बाबत कार्यवाही की जाकर दि. 19-7-23
में पेश हो ।

रखलाल

अतिरिक्त सम्भागीय आयाक

19.7.23

पत्रावली अपीलान्त अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत मिसल
तलबी का पेश किये जाने पर आज सुनवाई हेतु ली गई। रेस्पोंडेन्ट्स
अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
आदेश 23 नियम 3 सीपीसी बाबत राजीनामा का पेश किया गया तथा
निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम वायद तहसील रोहट में स्थित भूमि
ख0सं0 80 रकबा भूमि का नामा0 संख्या 1143 दिनांक 20.8.21 को स्वीकृत
किया गया जिसकी अपील रेस्प0 सं0 1 से 5 द्वारा पेश की गई। अपील
संख्या 18/2012 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.6.2014 को
स्वीकृत हुई जिसके विरुद्ध अपीलान्त ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।
दोनों पक्षों में राजीनामा हो रहा है एवं अपील संख्या 18/2012 रेस्प0 सं0
1 से 5 जरिये विड्रोल खारिज करवाते हैं। अतः अपीलान्त की अपील
स्वीकार कर दिनांक 18.6.2014 को खारिज फरमावें।

अपील
नं0 1

अपील
नं0 1

अपील
नं0 1

प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक
18.6.2014 की पालना में तहसीलदार द्वारा द्वारा राजस्व विविध मुकदमा
संख्या 24/2015 व 5/2021 निर्णय दिनांक 26.11.2021 को रेस्प0 सं0 1
से 5 जरिये विड्रोल खारिज करवा रहे हैं। अपीलान्त की अपील जरिये
राजीनामा स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2021 को खारिज
फरमावें। रेस्प0 सं0 1 से 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा रेस्प0 सं0 6
सोनाराम के हक में तर्क कर दिया है और हकतर्कनामा पंजीबद्ध करवा
दिया है। रेस्प0 सं0 1 से 6 की माता एवं रेस्प0 सं0 6 द्वारा भूमि को
आगे हस्तान्तरण कर दिया है जिसमें सभी रेस्पोंडेन्ट्स स्वीकार करते हैं और
भविष्य में भी हस्तान्तरण बाबत किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करेंगे न
ही हक लगायेंगे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा
स्वीकार किया जाकर अपीलान्त की अपील संख्या 85/2022 एवं
86/2022 स्वीकार की जाकर तहसीलदार रोहट द्वारा राजस्व विविध
मुकदमा संख्या 24/2015 व 05/2021 निर्णय दिनांक 26.11.2021 अनवान
भुण्डकी के का0मु0 वगैराह बनाम सोनाराम एवं न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी, रोहट द्वारा अपील संख्या 18/2012 में पारित आदेश दिनांक
18.6.2014 को अपास्त किया जावें।

अपील
नं0 1

अपील
नं0 1

अपील
नं0 1

पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का तथा अपील पत्रावली,
अधीनस्थ न्यायालय के पारित निर्णय इत्यादि का अवलोकन किया।
पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामों के अनुसार विचाराधीन
राजस्व अपील 85/2022 एवं 86/2022 को लोक अदालत की भावना के
अनुरूप स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
रोहट के द्वारा अपील संख्या 18/2012 में पारित आदेश दिनांक
18.06.2023 एवं तहसीलदार रोहट द्वारा राजस्व विविध मुकदमा संख्या
24/2015 व 05/2021 निर्णय दिनांक 26.11.2021 को निरस्त किया
जाता है। पत्रावली बाद निर्णय नम्बर से कम की जावें।

19/7/23
दिनांक 6/11/21
पहिलान्त
अपील
नं0 1